तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

उपस्थित :– श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अपीलांट्स
श्री औंकारलाल दवे , अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 17–7–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलांट्स ने एक राजस्व वाद विरूद्ध रेस्पोडेंट घोषणा व हुक्मइमतनाईदवामी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर बयाना के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत किया । परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय दिनांक 14–11–2000 को खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–7–02 द्वारा स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–11–2000 निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय को निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा तथ्यों के अभाव में साबित नही होने की स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। वादी द्वारा संवत् 2012 से पूर्व का कब्जा बताते हुये दावा प्रस्तुत किया था जिसके सबंध में वादी रेस्पोडेंट द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे उसका कब्जाकाश्त विवादित आराजी पर नहीं होना साबित था। शुद्धि पत्र के आधार पर वादी रेस्पोडेंट की निस्फ के स्थान पर अलग खसरा नंबर 3261 में एक बीघा दो बिस्वा किया जाना साबित था। अगर शुद्धि पत्र गलत था तो उसकी अपील करनी चाहिये थी। शुद्धि पत्र दिनांक 20–12–89 का होने से अंतिम दस्तावेज की परीभाषा में आता है। वाद में कायम तनकीयों को वादी ने अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से साबित नहीं किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	है। विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य एवं विवेचन के पश्चात कायम की गई तनकीयात का विश्लेषण करते हुये वादी का वाद खारिज किया है, किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय नियमों से परे निरस्त कर दिया। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे एंव अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे। उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस में कहा कि विवादित आराजी खसरा नबंर 326 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम नहरौली में निस्फ हिस्सा में वादी एवं निस्फ हिस्सा में से बुद्धू वगैरह, 1/5 हिस्सा में भरतोली वगैरा दर्ज है। जो संवत् 2010 से पूर्व से ही रिकोर्ड में दर्ज चले आ रहे है। अपीलांट ने दिनांक 21–6–85 को शुद्धिपत्र से हिस्फ हिस्से के इंद्राज कलमजन कर खिलाफ मौका व खिलाफ असलियत कर 7 बीघा 2 बिस्वा भाग पर अपीलांट्स प्रतिवादी का नाम दर्ज हो गया व वादी रेस्पोडेंट के नाम एक बीघा 7 बिस्वा हीं रह गया। शुद्धिपत्र बिना सूचना के किया गया तथा वादी को सुनवाई का कोई मौका व नोटिस नहीं दिया गया। प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार राजस्व रिर्कोड में वादी खातेदार दर्ज रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की दिखाई देने वाली विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। हस्तगत् प्रकरण में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2028 लगायत 2041 प्रदर्श–1 के कॉलम नंबर–4 अनुसार वादी रेस्पोडेंट विवादित आराजी खसरा नंबर 326 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा पर 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकोर्ड है। अपीलांट प्रतिवादी ने बिना वादी रेस्पोडेंट को सूचना दिये शुद्धि पत्र के जरिये राजस्व कर्मचारियों द्वारा रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा में से 7 बीघा 2 बिस्वा अपने नाम दर्ज इंद्राज करवा लिये। चूंकि नकल जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 अनुसार वादी रेस्पोडेंट विवादित आराजी के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज है, अतः अपीलांट प्रतिवादी द्वारा शुद्धिपत्र के जरिये अपने नाम 7 बीघा 2 बिस्वा पर कराये गये इंद्राज गैर कानून व अवैध है। शुद्धि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पत्र के जरिये अपीलांट विवादित आराजी पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन कि शुद्धि पत्र के विरूद्ध वादी द्वारा कोई अपील नहीं किये जाने से वह अंतिम दस्तावेज है। इस संबंध में हमारा सुविचारित मत है कि शुद्धिकरण बाबत् वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में शुद्धिकरण की अपील अलग से किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 21–6–85 को कराया गया शुद्धिकरण अवैध एवं गैर कानूनी मानते हुये वादी रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार करत हुये शुद्धिपत्र दिनांक 30–6–85 के आधार पर किये गये इंद्राजात को निरस्त कर वादी रेस्पोडेंट के नाम विवादित आराजीयात के बाबत् राजस्व अभिलेख में इंद्राजात के आदेश पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमतिता अथवा अवैधानिकता नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये सहायक कलेक्टर बयाना के निर्णय दिनांक 14–11–2000 को अपास्त किया है, वह पूर्ण रूपसे उचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह मत है कि विचारण न्यायालय का निर्णय तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित न हो कर त्रुटिग्रस्त है और ऐसे त्रुटिग्रस्त निर्णय को निरस्त कर वादी रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार कर डिक्री करने में ''प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 17–7–2002'' में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। सारांशतः हस्तगत द्वितीय अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार की जाकर तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (इन्द्र सिंह राव) सदस्य (आर.के.जायसवाल) सदस्य	